उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्याः 240 / UPSDM / KVM / 2021–22 / IT-MIS / AEBAS / 1076

दिनांक : 27 मई, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय के पूर्व पत्र संख्याः 1211/UPSDM/2018-19/IT-MIS/AEBAS/1076 दिनांकः 22 मार्च, 2021 द्वारा मिशन में आबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं को अवगत कराया जा चुका है कि दिनांक 01.04.2021 से मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का अनिवार्यतः आधार प्रमाणीकरण कराने का निर्णय लिया गया है।

तत्क्रम में समस्त प्रशिक्षण प्रदाताओं को आधार इनेबुल्ड बायोमैट्रिक डिवाइसेस के विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु उक्त डिवाइस व स्कैनर के क्रय हेतु निर्देशित भी किया जा चुका है।

2. उक्त पत्र में यथा उल्लिखित व्यवस्थानुसार मै श्रीट्रान इण्डिया लि0 द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आधार इनेबुल्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति के अंकन हेतु दरें निर्धारित कर कार्यालय को सूचित की गयी हैं जिसके अनुसार प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रति प्रशिक्षणार्थी की प्रतिदिन दो बार प्रशिक्षण केन्द्र में आने (Incoming) तथा प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षण केन्द्र छोड़ने (outgoing) के समय उसकी उपस्थिति दर्ज की जायेगी, जिसे एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा।

3. यथा वर्णित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मै0 श्रीट्रान इण्डिया लि0 को प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन रू0 3.30 (10% सेवा शुल्क व 18% जीएसटी अतिरिक्त) का भुगतान देय होगा।

मै0 श्रीट्रान इण्डिया लि0 द्वारा बायोमैट्रिक डिवाइस में अपेक्षित साफ्टवेयर स्वयं Install किया जायेगा तथा विण्डो/एंड्रायड एप्लीकेशन भी प्रशिक्षण प्रदाताओं के बगैर किसी अतिरिक्त चार्ज के उपलब्ध कराया जायेगा।

4. प्रश्नगत धनराशि प्रशिक्षण लागत में सम्मिलित समझी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में मिशन व प्रशिक्षण प्रदाताओं के मध्य निष्पादित अनुबंध के प्रस्तर 2.3 व 6.3 के प्राविधान यथावत् प्रभावी माने जायेंगें।

5. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कोविड प्रोटोकॉल के क्रम में प्रशिक्षण सत्रों के प्रारंभ होने पर आधार इनेबुल्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी, अन्यथा प्रशिक्षण सत्र के संचालन की अनुमन्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्याः 240 /UPSDM/KVM/2021–22/IT-MIS/AEBAS/1076 **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
3. प्रबंध निदेशक, मै0 श्रीट्रान इण्डिया लि0 लखनऊ।
4. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
5. प्रबंधक (आईटी) को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालयादेश पंजिका।
7. गार्ड फाइल।

27/5/21

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक